न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 124/2025 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

मो0 नजाम अंसारी वगै0 ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

शखावत अंसारी वगै0 ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

10/10/25

उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा का अवलोकन करने, उभय पक्ष द्वारा दाखिल राजस्व संबंधी साक्ष्यों का अध्ययन करने तथा उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उभय पक्ष के मध्य व्याप्त विवाद स्वत्व (Title) संबंधी है। प्रथम पक्ष विक्रय पत्र के जरिए एवं द्वितीय पक्ष हुकुमनामा के जरिए उक्त भूमि पर अपना-अपना दावा करते हैं।

चुँकि स्वत्व (Title) का विवेचन अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः उभय पक्ष को निदेशित किया जाता है कि सक्षम न्यायालय में युक्तियुक्त (appropriate) वाद दायर कर मामले का स्थायी निपटारा कर सकते हैं।

साथ ही चुँकि मामला गैरमजरूआ खाते की भूमि का है अतः अंचल अधिकारी, सरिया को उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जा रही दावे से संबंधित जमाबन्दी की वैधता की जाँच सूक्ष्मता से करने हेतु निदेशित किया जाता है। जाँच के क्रम में यदि जमाबन्दी अवैध पाई जाती है तो झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबन्दी रद्द करने हेतु उपायुक्त को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। उक्त जमाबन्दी की वैधता की जाँच तथा फलाफल के आधार पर यदि मामला अतिक्रमण का पाया जाय तो विधिवत् अतिक्रमणवाद की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वाद में सम्मिलित किसी पक्ष के हित में या विरूद्ध कोई निर्णय इस चरण में पारित करना न्यायोचित नहीं है।

उक्त विवेचन के आलोक में वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, थाना प्रभारी, सरिया तथा अंचल अधिकारी, सरिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

10/10/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

10/10/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by localhost
Date: 2025.12.04 12:43:52 +05:30
Location: 10.93.146.77